प्र.स.:– 05 / 2023
दायर दिनांकः– 12.04.2023
निर्णय दिनांक :– 09.05.2023

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

(प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हिगोंटिया)

पीठासीन अधिकारी का नाम :–	मिथलेश मीना (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :–	05 / 2023
प्रकरण दायर दिनांक :–	12.04.2023

ओम प्रकाश पुत्र ग्यारसीलाल खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी खादी भण्डार रोड दौसा जिला दौसा।

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी अनुपस्थित।
2. पैरोकार सरकार।

:: निर्णय :: दिनांक : 09.05.2023

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 20 पुराना 15 के खसरा नम्बर 817 / 402 रकबा 0.8320 है0, खसरा नम्बर 819 / 402 रकबा 2.4957 है0, खसरा नम्बर 82[illegible] रकबा 0.1788 है0, कुल किता–3 कुल रकबा 3.5065 हैक्टयर वाके ग्राम [illegible] खुर्द तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान में स्थित है। जिस पर प्रार्थी एकमात्र काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:14:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:— 05/2023
दायर दिनांक:— 12.04.2023
निर्णय दिनांक :— 09.05.2023

काश्त खातेदार है जिस पर किसी प्रकार का कोई झगडा टन्टा नही है। जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

2. यह कि प्रार्थी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की स्वामित्व की भूमि में आये दिन आवारा जानवर घुस जाते है तथा प्रार्थी के खेतो में उगी फसल को नष्ट कर देते है। जिससे परेशान होकर प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि पर तारबंदी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार लवाण को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार लवाण के पत्र क्रमांक–2168 दिनांक 21.10.2022 की पालना में पटवारी हल्का खेडला खुर्द द्वारा प्रार्थी व मौके पर उपस्थिति मौतबिरानो के समक्ष दिनांक 21.10.2022 को हल्का पटवारी खेडला खुर्द द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 20 पुराना 15 के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 817/402 रकबा 0.8320 है0, खसरा नम्बर 819/402 रकबा 2.4957 है0, खसरा नम्बर 822/403 रकबा 0.1788 है0, कुल किता–3 कुल रकबा 3.5065 हैक्टयर भूमि सम्पूर्ण का जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया। खसरा नम्बर 817/402, 819/402, 822/403 के उत्तरी दिशा की तरफ स्थित खसरा नम्बर 394 गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर चिन्ह कायम किये तथा राजस्व ग्राम चावण्ड के खसरा नम्बर 129 गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 822/403 की पूर्वी सीमा पर पॉईन्ट कायम कर सीमाज्ञान किया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 686,687,688,684 (चौमेडा) से खसरा संख्या 819/402, 817/402 की सीमा चिन्ह लगाये गये। जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नही रही है।

3. यह कि हल्का पटवारी खेडला खुर्द द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि के खाता संख्या नया 20 पुराना 15 के खसरा नम्बर 817/402 रकबा 0.8320 है0, खसरा नम्बर 819/402 रकबा 2.4957 है0, खसरा नम्बर 822/403 रकबा 0.1788 है0, कुल किता–3 कुल रकबा 3.5065 हैक्टयर के किये गये सीमाज्ञान से प्रार्थी पूर्णतय सन्तुष्ट है एवं हल्का पटवारी खेडलाखुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:44:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:– 05/2023
दायर दिनांकः– 12.04.2023
निर्णय दिनांक :– 09.05.2023

द्वारा किये गये सीमाज्ञान अनुसार प्रार्थी अपनी स्वामित्व एवं खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि की सुरक्षार्थ सीमाज्ञान अनुसार सम्पूर्ण भूमि के चारो और पुख्ता तारबन्दी करवाना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चारो और पत्थरगढी होना आवश्यक एवं न्यायसंगत है जिससे प्रार्थी अपनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि क उपयोग उपभोग कर सके। यदि प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बिना पुलिस इमदाद के होना संभव नही हो तो प्रार्थी इस हेतु लगने वाले अधिनियमानुसार खर्च को वहन करने हेतु तत्पर एवं तैयार है।

4. यह है कि प्रार्थीगण उक्त आराजी के सीमाज्ञान में होने वाले खर्चे को भी वहन करने को तैयार है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लवाण को आदेश फरमावें कि वो आराजी खसरा नम्बर 817/402 रकबा 0.8320 है0, खसरा नम्बर 819/402 रकबा 2.4957 है0, खसरा नम्बर 822/403 रकबा 0.1788 है0, कुल किता–3 कुल रकबा 3.5065 हैक्टयर वाके ग्राम खेडला खुर्द तहसील लवाण जिला दौसा का मय टीम गठित कर व पुलिस इमदाद द्वारा सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाएं कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प स्थल ग्राम पंचायत हिगोंटिया में रखा गया। तहसीलदार लवाण की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण ने अपने पत्रांकः भू.अ./2023/1191 दिनांक 05.05.2023 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 817/402, खसरा नम्बर [illegible]2, खसरा नम्बर 822/403 रकबा क्रमशः 0.8320, 2.4957, [illegible] खेडला खुर्द ओम प्रकाश पुत्र ग्यारसीलाल खण्डेलवाल जा[illegible] भण्डार रोड दौसा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 817/4[illegible] खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:14:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:– 05/2023
दायर दिनांकः– 12.04.2023
निर्णय दिनांक :– 09.05.2023

819/402, खसरा नम्बर 822/403 का सीमाज्ञान पूर्व किया जा चुका है। उक्त खसरा नम्बरान पर आदिनांक किसी न्यायालय का स्थगन दर्ज रिकार्ड नही है। उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी के आदेश जारी किये जाते है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

हमने तहसीलदार लवाण से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 05.05.2023 व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त ग्राम खेडला खुर्द तहसील लवाण के आराजी खसरा नम्बर 817/402 रकबा 0.8320 है0, खसरा नम्बर 819/402 रकबा 2.4957 है0, खसरा नम्बर 822/403 रकबा 0.1788 है0, कुल किता–3 कुल रकबा 3.5065 हैक्टयर भूमि ओमप्रकाश पुत्र ग्यारसीलाल खण्डेलवाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा. खादी भण्डार रोड दौसा नाम दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का खेडला खुर्द के अनुसार दिनांक 21.10.2022 को किया गया, जहॉ मौके पर पटवारी हल्का खेडला खुर्द एवं खातेदार उपस्थित रहा। उक्त सीमाज्ञान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा व अडचन दर्शित नही होने कारण, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम खेडला खुर्द तहसील लवाण के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 20 के अनुसार औमप्रकाश पुत्र ग्यारसीलाल खण्डेलवाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा. खादी भण्डार रोड दौसा की आराजी खसरा नम्बर 817/402 रकबा 0.8320, खसरा नम्बर 819/402 रकबा 2.4957, खसरा नम्बर 822/403 रकबा 0.1788, कुल किता–3 कुल रकबा 3.5065 हैक्टयर पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त खसरा नम्बरो की पत्थरगढी कर... अनुभवी पटवारियो/भू–अभिलेख निरीक्षको की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की... तथा प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:14:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:– 05/2023
दायर दिनांकः– 12.04.2023
निर्णय दिनांक :– 09.05.2023

लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 09.05.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प ग्राम पंचायत हिगोंटिया पर मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

उप जिला कलेक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:14:16 IST
Reason: SelfAttested